बिहार सरकार

खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग

पत्रांक-प्र6-ज0वि0प्र0-13/05 162 आ0 वा0, पटना/दिनांक - 16.1.06

प्रेषक,

अरूण झा,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी
विशिष्ट पदाधिकारी प्रभारी अनुभाजन, पटना

विषय :- जन वितरण प्रणाली विक्रेता तथा किरासन तेल ठेला भेंडरों द्वारा संधारित सभी प्रकार के अभिलेखों को अनुमंडल कार्यालय में जमा कराने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

विषयांकित सन्दर्भ में सूचित करना है कि प्रायः जाँच कार्यो अथवा अंकेक्षण आपत्ति के निष्पादन के क्रम में जाँच दल द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेता अथवा किरासन तेल ठेला भेंडरों से पूर्व वर्षो के अभिलेख मांगने पर विभिन्न प्रकार के बहाना यथा दीमक अथवा चूहों से बर्बाद होना, वर्षा ऋतु में वर्षा से नष्ट होना आदि बता कर जाँच आदि क्रम में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है । फलस्वरूप जाँच कार्य या अंकेक्षण आपत्ति का निष्पादन पूर्ण नही हो पाता है ।

उक्त कार्यो की महत्ता के आलोक में यह आवश्यक है कि सभी वांछित अभिलेख जाँच दल के समक्ष या आवश्यकतानुसार ससमय प्रस्तुत हो । इस सन्दर्भ में निम्नांकित कार्रवाई कृपया सुनिश्चित किया जाय :-

1. अनुमंडल के सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा कैलेन्डर वर्ष (माह जनवरी से दिसम्बर) के अन्तर्गत उनके समस्त क्रियाकलाप से सम्बन्धित अभिलेख अनुमंडल आपूर्ति प्रभाग में जमा कराया जाय ।
2. जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं से सम्बन्धित अभिलेखों को अनुमंडल प्रभाग में जमा कराने की जिम्मेवारी सम्बन्धित अनुमण्डल के सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी की होगी ।
3. कैलेन्डर वर्ष प्रारम्भ होने पर सम्बन्धित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेता/किरासन तेल ठेला भेंडरों का नया अभिलेख विगत वर्ष का अभिलेख जमा कराने के बाद ही संधारित करायेंगे ।
4. जन वितरण प्रणाली विक्रेता/किरासन तेल ठेला भेंडरों द्वारा जमा कराये गये अभिलेखों के अनुरक्षण एवं उसके रख-रखाव की जिम्मेवारी सम्बन्धित अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी की होगी ।

उपर्युक्त निदेश तात्कालिक रूप से प्रभावी होगा ।

विश्वासभाजन,

सरकार के सचिव